न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 99/2017 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2017/00252

1. जीसो पुत्री दरबारा सिंह पत्नि भजन सिंह जाति जटसिख साकिन धोला तहसील मुक्तसर (पंजाब)
2. सीरो पुत्री दरबारा सिंह पत्नि नक्षत्र सिंह जाति जटसिख साकिन धोला तहसील मुक्तसर (पंजाब)

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार,(राजस्व) सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. करतार सिंह पुत्र सुच्चा सिंह जाति जटसिख साकिन अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

2/1 कुलदीप सिह पुत्र जोगेन्द्र सिंह पुत्र करतार सिंह
2/2 महेन्द्र सिह पुत्र करतार सिह
2/3 जसविन्दर सिंह पुत्र करतार सिंह

} समस्त जाति जटसिख निवासी अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक अपीलांट्स
श्री धीरेन्द्र भदौरिया अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2/1 ता 2/3

निर्णय

दिनांक 16.09.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 11.03.1996 एवं इंतकाल संख्या 129 दिनांक 12.6.1989 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 4 केआरडब्ल्यु में दरबारासिंह पुत्र सुच्चासिंह की पुश्तैनी खातेदारी भूमि थी। दरबारासिंह के तीन पुत्रियॉ है। दरबारासिंह की मृत्यु के पश्चात पुत्रीयों ने तहसीलदार के समक्ष वारिसान के नाम इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। दरबारासिंह का भाई करतारसिंह ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर बताया की दरबारासिंह ने अपने भतीजों के पक्ष में वसीयत एवं करतारसिंह स्वयं के पक्ष में दस्तबरदारी कर दी है। तहसीलदार सादुलशहर ने करतारसिंह ने के पक्ष में इंतकाल संख्या 129 दिनांक 12.06.1989 दर्ज कर दिया। तहसीलदार सादुलशहर के इंतकाल संख्या 129 दिनांक 12.06.1989 के विरूद्ध अपील जिला कलक्टर श्रीगंगाानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने अपील अस्वीकार कर दी। जिला कलक्टर श्रीगंगाानगर के उक्त आदेश दिनांक 11.03.1996 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमें इस न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार सादुलशहर के इंतकाल संख्या 129 दिनांक 12.06.1989

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

व जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 11.03.1996 को निरस्त कर दिया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2007 के विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेंर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेंर ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2007 अपास्त करते हुए अपील इस न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर दी। न्यायालय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 10.11.20017 की पालना में अपील इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर की गई।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि के संबंध दरबारासिंह पुत्र सुच्चासिंह का 600 जिस्सा दर्ज है। उक्त अपीलाधीन भूमि दरबारासिंह की पैतृक भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमि दरबारासिंह के पिता सुच्चासिंह के नाम थी। दरबारा सिंह को भी उक्त वादग्रस्त भूमि विरास्तन् प्राप्त हुई थी। दरबारा सिंह दस्तबरदारी के द्वारा अपना हिस्सा छोड़ नही सकता हैं क्योंकि पैतृक भूमि का किसी भी प्रकार से हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, वारिसान का जन्म से उक्त वादग्रस्त भूमि में हक बन जाता है। दस्तबरदारी का प्रावधान है कि अगर कोई दस्तबरदारी करता है तो संयुक्त खाते में सभी खातेदारों के पक्ष में छोडनी पड़ती है। विरासतन् भूमि की वसीयत नही की जा सकती है। अपीलांट दरबारासिंह की तीन पुत्रियां हैं। दरबारासिंह की फौत हो चुकी है। मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अपीलांट मृत्तक दरबारासिंह की वारिस है। तहसीलदार सादुलशहर द्वारा इंतकाल दर्ज करते समय कब्जे का ध्यान नही रखा। तहसीलदार सादुलशहर ने इंतकाल संख्या 129 के संबंध में पुरी कार्यवाही एक ही दिन में तुफानी गति से बिना कानून व नियमों का ध्यान रखें, मनमाने तरीके से पूर्ण कार्यवाही की गई है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने इंतकाल संख्या 129 दिनांक 12.06.1989 सही माना है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगांगनगर का निर्णय दिनांक 11.06.1996 एवं तहसीलदार सादुलशहर के इंतकाल संख्या 129 दिनांक 12.06.1989 को निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टातों का हवाला दिया हैं:—

1. आर.आर.डी. 1978 पेज संख्या 375
2. आर.आर.डी. 2007 पेज संख्या 675
3. आर.आर.डी. 1993 पेज संख्या 343
4. आर.आर.डी. 1995 पेज संख्या 572
5. आर.आर.डी 1997 पेज संख्या 272
6. आर.आर.डी 1994 पेज सं. 520 व 499

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि सयुक्त खाते की भूमि थी। खातेदार दरबारासिंह ने रजिस्टर्ड दस्तबरदारी द्वारा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 करतारसिंह(मृत्तक) को कर दी। विवादित भूमि को इंतकाल दस्तबरदारी के आधार पर किया है। जब तक सक्षम अदालत द्वारा दस्तबरदारी शून्य घोषित नही होती तब तक उनके आधार पर किया गया इंतकाल निरस्त नही जा सकता है। यह कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपीलांट को रजिस्टर्ड दस्तबरदारी के विरूद्ध सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर ने विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए इंतकाल दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने भी तहसीलदार सादुलशहर द्वारा दर्ज इंतकाल

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

संख्या 129 दिनांक 12.06.1989 को सही माना है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.10.2007 में हमें सुना ही नही गया। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टातों का हवाला दिया है:–

1. आर.आर.टी. 2019(1) पेज सं. 648
2. आर.आर.टी. 2019(2) पेज सं.1125
3. आर.आर.टी. 2003(1) पेज सं. 650
4. आर.आर.टी. 2013(1) पेज सं. 383
5. आर.एल.डब्लयू.2016(2) पेज सं. 1337

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, न्यायिक दृष्टांत एवं उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में रजिस्टर्ड दस्तबरदारी के आधार पर इंतकाल संख्या 129 दिनांक 12.06.1989 दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने इंतकाल संख्या 129 दिनांक 12.06.1989 में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के आधार पर अपीलांट की प्रथम अपील को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ने द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 129 दिनांक 16.06.1989 रजिस्टर्ड दस्तबरदारी के आधार पर दर्ज किया था। अपीलांट ने उक्त दस्तबरदारी को किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया है। ऐसी स्थिति में जब तक अपीलाधीन रजिस्टर्ड दस्तबरदारी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही की जाती, तब तक उक्त रजिस्टर्ड दस्तबरदारी को वैध माना जाएगा और उक्त रजिस्टर्ड दस्तबरदारी के आधार पर दर्ज इंतकाल भी वैध माना जाएगा। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.1996 उचित प्रतीत होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.1996 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर